निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 20 पटना, बुधवार, 25 वैशाख 1935 (श0)
15 मई 2013 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-4
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	5-15
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना
6 मई 2013

सं० 17/प्रो०–05–03/2011 सा०प्र० 7133—बिहार सचिवालय सेवा के श्री कृष्ण कुमार दास, प्रशाखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग को अवर सचिव/समकक्ष कोटि के पद पर बैड वेतन 15600–39100+ग्रेड वेतन 6600 में नियमित प्रोन्नति देते हुए ''विधि विभाग' में अवर सचिव के रिक्त पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ अवर सचिव के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कुन्दन किशोर श्रीवास्तव, अवर सचिव ।

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचनाएं

1 फरवरी 2013

सं० 1स्था/न.नि. 73/08 पार्ट 180—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–41 के अधीन श्री श्रीमती अलका सिन्हा, अंचलाधिकारी, मनेर को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनेर के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डा0 राजीव कुमार, उप–सचिव।

31 दिसम्बर 2012

सं० 1स्था(न.)विविध–80/12/4465/न.वि.एवंआ.वि.—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–41 के अध्यधीन श्री अशोक कुमार मण्डल, वरीय उप–समाहर्ता, प्रतिनियुक्त अनुमण्डल कार्यालय, मढ़ौरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर पंचायत, मढ़ौरा के नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अगले आदेश तक कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डा0 राजीव कुमार, उप–सचिव।

8 जनवरी 2013

सं0 1/स्था0/सा0वि0–30/03/37/न0वि0एवंआ0वि0—माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 2005/2010 में दिनांक 21.11.11 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री राम शंकर चौधरी, तत्कालीन साहचर्य निवेशक, नगर एवं क्षेत्रीय निवेशन संगठन, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को नगर एवं क्षेत्रीय निवेशन संगठन में रिक्त नगर निवेशक के एकल पद पर वेतनमान 14,300–400–18,300 रूपये में दिनांक 22.06.2004 से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डा0 राजीव कुमार, उप–सचिव।

8 फरवरी 2013

सं० 1/स्था.कार्य.पदा.–01/13/267—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–41 के अधीन श्री प्रेम कान्त सूर्य, वरीय उप–समाहर्त्ता, किशनगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डा0 राजीव कुमार, उप–सचिव।

8 फरवरी 2013

सं० 1/स्था–46/12/268––बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–41 के अधीन श्री कुमार ओंकेश्वर, वरीय उप–समाहर्त्ता, गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शेरघाटी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डा0 राजीव कुमार, उप–सचिव।

---

6 फरवरी 2013

सं० 1(न)विविध–77/12/241––बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–41 के अधीन श्री रेयाज अहमद खान, वरीय उप–समाहर्त्ता, समाहरणालय, बक्सर को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डा0 राजीव कुमार, उप–सचिव।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

25 अप्रील 2013

सं0सं0–5/पी0(यॉ0)–3–10–102/2011––1021––विभागीय प्रोन्नति समिति को दिनांक 18–03–2013 के सम्पन्न बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यपालक अभियन्ता (यॉ0) के पद पर वेतनमान् पी0बी0–3 (रुपये 15,600–39,100) ग्रेड वेतन–रुपये 6,600 में निम्नरुपेण नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	नाम/ आई0डी0कोड /गृह जिला	वरीयता क्रमांक	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री आलिन्द कुमार जायसवाल/एम0–0694/ भागलपुर	326/2008	सामान्य	
2	श्री रामाशीष शर्मा/एम0–0544/ गया	330/2008	सामान्य	
3	श्री मुक्तेश्वर पाण्डेय/एम0–0566/ भभुआ	342/2008	सामान्य	

2. प्रोन्नत पदाधिकारियों के प्रोन्नति के फलस्वरुप वेतन भत्ते आदि का भुगतान उनके द्वारा कार्यपालक अभियन्ता (यॉ0) के पद पर नियमित प्रोन्नति के पश्चात् प्रोन्नत पद के पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन) ।

निगरानी विभाग

अधिसूचना

3 मई 2013

सं० निग0 मुक0–19/2013–2192 अनु०––क्रि0मि0 संख्या 45283/2011 कमलाकान्त बनाम बिहार राज्य सरकार में दिनांक 19.12.2012 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में सासाराम (रोहतास) थाना कांड संख्या 235/2003 का अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए तत्कालीक प्रभाव से सासाराम (रोहतास) थाना कांड संख्या 235/2003 के अधिग्रहण एवं अनुवर्त्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आर0 एन0 तिवारी, अपर सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

7 मई 2013

सं0 ई2–2–35/2013–2598––श्री सुरेश प्रसाद साह, बि०प्र०से०, उप–निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान का अपर समाहर्त्ता कोटि में प्रोन्नति एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 5757 दिनांक 09.04.2013 द्वारा उप–विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

जहानाबाद के पद पर पदस्थापन के फलस्वरूप हुए रिक्त पद पर श्री नौशाद आलम, उप–निर्वाचन पदाधिकारी, गोपालगंज को 19–महराजगंज लोक सभा उप–चुनाव, 2013 के मद्देनजर अपने कार्यों के अतिरिक्त उप–निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

उक्त अतिरिक्त प्रभार 19–महराजगंज लोक सभा उप–चुनाव, 2013 की प्रक्रिया समाप्त होते ही समाप्त हो जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, उप–सचिव।

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

3 मई 2013

एस0ओ0. 222, दिनांक 15 मई 2013—नोटरीज अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा–10 की उप–धारा (बी0) एवं (एफ0) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल श्री एस0एम0 नईमूल हक, नोटरी, खगड़िया जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 2647 दिनांक 14 अगस्त 1995 द्वारा की गयी थी, के नोटरी अनुज्ञप्ति को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त करते हुए, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा–4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से इनका नाम हटाने का आदेश देते है तथा विशेष परिस्थिति में अभी तक इनके द्वारा किये गए कार्यो को नियमित करते है।

(सं0सं0–ए0/नोट–5/93/3215/जे0)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

---

3 मई 2013

एस0ओ0 223, एस0ओ0 222, दिनांक 15 मई 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0–ए0/नोट–5/93/3215/जे0)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 3rd May 2013

S.O. 222 dated 15th May 2013—In exercise of the powers conferred under sub-section-(b) and (f) of section of the Notaries Act 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to repeal the notary license with effect from date of issue of the order and to remove the name of Sri Syed MD. Naeemul Haque notary, Khagaria who was appointed as notary under Law Department notification memo no.-2647 dated 14.08.95 from the register maintained for notaries under section-4 of the Notaries Act 1952 and in special circumstances regularise the acts done by him uptill now.

(File No.-A./Not-5/93/**3215/J)**
By Order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 08—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचनाएं

31 अक्तूबर 2012

सं० 1489—श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम+पो0–गोही, अंचल+थाना–वारिसनगर, जिला–समस्तीपुर, पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–4185 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था एवं सुचारू प्रबन्धन हेतु स्थानीय लोगों की एक आम सभा अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई गयी। इस बैठक में आम सहमति से दिनांक 03.06.2012 को ग्यारह व्यक्तियों का नाम चयनित किया गया, जिसे अंचलाधिकारी, वारिसनगर द्वारा पर्षद् को आगे की कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया है। स्थानीय लोगों ने भी इस न्यास समिति को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अतः मैं, किशोर कुणाल, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद्, श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम+पो0–गोही, अंचल+थाना–वारिसनगर, जिला–समस्तीपुर के सुचारू प्रबंधन, सम्यक विकास तथा सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम की धारा–32 के तहत अग्रलिखित योजना का निरूपण करते हुये इसके क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ :–

योजना

1. इस योजना का नाम श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम+पो0–गोही, अंचल+थाना–वारिसनगर, जिला–समस्तीपुर न्यास योजना होगा तथा इसे मूर्त रूप देने के लिये पर्षद् द्वारा गठित न्यास समिति का नाम ''श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति ग्राम+पो0–गोही, अंचल+थाना–वारिसनगर, जिला–समस्तीपुर'' होगा, जिसमें न्यास की समस्त चल–अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष एवं सचिव में से कोई एक और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार आवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पत्रित होंगे तो उनकी अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
12. इस न्यास समिति का कार्यकाल आदेश की तिथि से 05 वर्षो की होगी। लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यो की समीक्षा की जायेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

1	श्री रामधनी हजरा, अंचलाधिकारी, वारिसनगर, जिला–समस्तीपुर	–	अध्यक्ष
2	श्री रजनी कान्त ठाकुर, श्री रामनन्दन ठाकुर, ग्राम+पो0–गोही, जिला–समस्तीपुर	–	सचिव
3	श्री कृष्णा मोहन शर्मा, पे0 स्व0 बालगोविन्द शर्मा, ग्राम+पो0–गोही, जिला–समस्तीपुर	–	कोषाध्यक्ष
4	श्री मदन प्रसाद ठाकुर, पे0 स्व0 ह्रदय नारायण ठाकुर, ग्राम+पो0–गोही, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य
5	श्री अरूण कुमार ठाकुर, पे0 स्व0 ब्रज किशोर ठाकुर, ग्राम+पो0–गोही, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य
6	श्री राम चन्द्र ठाकुर, पे0 स्व0 सत्यदेव ठाकुर, ग्राम+पो0–गोही, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य
7	श्री पवन कुमार ठाकुर, पे0 स्व0 हरे राम ठाकुर, ग्राम+पो0–गोही, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य
8	श्री लाल बाबू गुप्ता पे0 स्व0 अनन्दी साह, ग्राम+पो0–गोही, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य
9	श्री गोबरधन पासावान पे0 स्व0 गरबु पासवान, ग्राम+पो0–गोही, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य
10	श्री दिनेश चन्द्र ठाकुर पे0 स्व0 सत्यनारायण ठाकुर, ग्राम+पो0–गोही, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य
11	श्री राधा कान्त ठाकुर पे0 स्व0 लगनी ठाकुर, ग्राम+पो0–गोही, जिला–समस्तीपुर	–	सदस्य

यह योजना दिनांक 01.11.2012 से प्रभावी होगा।

आदेश से,
किशोर कुणाल, अध्यक्ष।

---

17 दिसम्बर 2012

सं० 1655—श्री राम लक्ष्मण जानकी जी एवं हनुमान जी मंदिर, धरहरा, बक्सर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 3262 है । बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन तथा विकास के लिए एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है ।

अतः मैं किशोर कुणाल, अध्यक्ष, बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास पर्षद, विद्यापति मार्ग, पटना श्री राम लक्ष्मण जानकी जी एवं हनुमान जी मंदिर, धरहरा, बक्सर के सुचारू प्रबंधन, सम्यक विकास तथा संपत्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम की धारा– 32 के तहत अग्रलिखित योजना का निरूपण करते हुए इसके क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ ।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री राम लक्ष्मण जानकी जी एवं हनुमान जी मंदिर, धरहरा, बक्सर'' होगा और इसे मूर्त्त रूप देने के लिए पर्षद द्वारा गठित न्यास समिति का नाम '' श्री राम लक्ष्मण जानकी जी एवं हनुमान जी मंदिर न्यास समिति, धरहरा, बक्सर '' होगी, जिसमें न्यास की समस्त चल–अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा ।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा ।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा ।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा ।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी ।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।
8 न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित / हस्तांरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
11. किसी भी स्थिति में न्यास की सम्पत्ति (चल या अचल) किसी भी अन्य संस्था को नहीं दी जायेगी । ऐसा करने पर न्यास समिति का गठन समाप्त कर दिया जायेगा एवं जमीन लेने वालों पर मुकदमा किया जायेगा ।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
13. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 01/01/2013 से 05 वर्ष की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षोपरांत समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1. श्री रामबदन सिंह, पिता– स्व0 रामबालक सिंह
2. श्री अनिरूद्ध सिंह, पिता– स्व0 सोनापति सिंह
3. श्री राज ऋषि सिंह, पिता– स्व0 रघुनाथ सिंह
4. श्री अप्पु कुमार कुशवाहा, पिता– स्व0 कमल सिंह
5. श्री महेन्द्र सिंह, पिता– स्व0 चन्द्रिका सिंह
6. श्री राजगृही पाल, पिता– स्व0 जगरनाथ पाल
7. श्री लक्ष्मण सिंह, पिता– श्री गंगा विशुन सिंह
8. श्री शिववकील सिंह, पिता– स्व0 रामधनी सिंह
9. श्री यदुनाथ सिंह, पिता– स्व0 रामबचन सिंह
10. श्री भगवत सिंह, पिता– श्री बुटन सिंह
11. श्री शिवअवतार सिंह, पिता– स्व0 समहुत सिंह

सभी का पता– टुड़ीगंज, धरहरा ।

आदेश से,
किशोर कुणाल, अध्यक्ष।

---

29 दिसम्बर 2012

सं० 1756—सारण जिलान्तर्गत डोरीगंज थाना के ग्राम दफ्तरपुर स्थित श्री शुकेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या– 3585 है। महंत अरूण कुमार मिश्र पुरी द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय मे दायर सिविल रिट याचिका सं0– 7891/2006 मे दिनांक 02.05.2011 को पारित आदेश के आलोक में पर्षद द्वारा संबंधित पक्षों की सुनवाई की गयी। श्री अरूण कुमार मिश्र का आरोप था कि पर्षद के आदेश दिनांक 02.04.2005 द्वारा गठित न्यास समिति द्वारा न्यास सम्पत्तियों का दुरूपयोग किया गया है। विभिन्न तिथियों पर इस मामले की सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम मे बताया गया कि उक्त न्यास समिति के अध्यक्ष अलखदेव सिंह, सचिव रघुवंश प्रसाद सिंह तथा सदस्य प्रवेश मांझी का निधन हो गया है। दिनांक 16.08.2012 की सुनवाई मे यह बतलाया गया कि पर्षद के परामर्श एवं ग्रामवासियों की सहायता के कारण दानों पक्षों ने समझौता कर लिया है और इस सिलसिले में दिनांक 12.08.2012 को अपराह्न 11.00 बजे दिन मे दफ्तरपुर के सभी ग्राम वासियों की आम सभा श्री सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर के प्रांगण मे हुआ । इस बैठक मे निर्णय लिया गया कि इस न्यास के सम्यक् संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाये। बैठक मे 114 लोंगो की उपस्थिति बतलायी गयी जिसमें से 11 व्यक्तियों को इस न्यास समिति मे रखा गया है। इसके अध्यक्ष श्री योगेन्द्र कुमार मिश्रा को, सचिव, श्री सूर्य प्रसाद सिंह एवं श्री अखिलेश कुमार को कोषाध्यक्ष के रूप में अनुशंसित किया गया है। इस आशय का आवेदन–पत्र भी श्री सूर्य प्रसाद सिंह एवं श्री अरूण कुमार मिश्र द्वारा हस्ताक्षरित पर्षद को प्राप्त हुआ है।

दोनों पक्षों की आपसी सहमति से न्यास समिति के गठन के लिए ग्राम वासियों की बैठक कर एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसको अनुमोदन के लिए भेजा गया है। आदेश दिनांक 16.08.2012 द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए न्यास के सम्यक् संचालन के लिए अधिनियम की धारा 32 के तहत एक योजना का निरूपण एवं इसके संचालन के लिए न्यास समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः मैं, किशोर कुणाल, अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, श्री शुकेश्वर नाथ महादेव मंदिर, दफ्तरपुर, जिला–सारण के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 के तहत एक योजना का निरूपण करता हूँ एवं इसे मूर्त रूप देने के लिए न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम'' श्री शुकेश्वर नाथ महादेव मंदिर न्यास येाजना होगा'' तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए पर्षद द्वारा गठित न्यास समिति का नाम ''श्री शुकेश्वर नाथ महादेव मंदिर न्यास समिति, दफ्तरपुर, सारण'' होगा, जिसमें न्यास की समस्त चल–अचल सम्पत्तियों के संघारण, प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार निहित होगा ।
2. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अतिक्रमित भूमि की वापसी के लिए समुचित कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करना होगा ।
3. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा, कथा–प्रवचन आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन एवं संचालन सुनिश्चित करेगी।
4. न्यास परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमे दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।
5. न्यास समिति न्यास की समग्र सम्पत्ति तथा आय–व्यय का सही हिसाब रखेगी तथा समग्र लेखा का वार्षिक अंकेक्षण करायेगी जिसकी प्रति पर्षद को भेजी जायेगी।
6. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा ।
7. न्यास समिति अधिनियम की धारा–60 के अनुरूप न्यास का बजट तैयार करेगी तथा स्वीकृति हेतु पर्षद को भेजेगी।

8. न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
9. न्यास के विकास या अन्य धार्मिक कार्यो हेतु दाताओ से प्राप्त होने वाली राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में इसे दर्ज कर उन्हे बैंक में जमा की जायेगी।
10. न्यास परिसर में स्वच्छता, पवित्रता एवं सौंदर्यीकरण का विशेष ख्याल रखा जायेगा तथा इसकी गरिमा के अक्षुण रखा जायेगा।
11. न्यास की निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यो के लिए किया जाएगाः–
    (क) सभी प्राणियों के कल्याण के लिए
    (ख) मन्दिर में सम्यक् पूजा–अर्चना, राग–भोग, धार्मिक उत्सव, कथा–प्रवचन आदि।
    (ग) मन्दिर का अनुरक्षण, सौंदर्यीकरण एवं विकास
    (घ) धर्म एवं संस्कृति का प्रचार–प्रसार
    (च) सन्त निवास, धर्मशाला आदि का निर्माण
    (छ) न्यास समिति द्वारा प्रस्तावित एवं पर्षद द्वारा अनुमोदित अन्य जनहित मूलक कार्य करना।
12. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–वधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए न्यास की आय–व्यय विवरणी, बजट, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक् प्रेषण करेगी।
13. न्यास समिति का कोई सदस्य न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास के परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभ उठाते पाये जायेगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
14. न्यास समिति न्यास की आय–व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।
15. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत से होगा।
16. न्यास समिति के सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/ निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होगें और कोषाध्यक्ष लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होगें।
17. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हुआ है और न्यास हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन के लिए भेजेगी।
18. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियो की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1. श्री योगेन्द्र कुमार मिश्रा, पिता–स्व0 जनार्दन सिंह –अध्यक्ष
2. श्री सुर्य प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 पारसनाथ सिंह –सचिव
3. श्री अखिलेश कुमार, पिता–स्व0 लालबाबू सिंह –कोषाध्यक्ष
4. श्री अरूण कुमार मिश्रा, पिता–स्व0 पशुराम मिश्र –सदस्य
5. श्रीमती कौशल्या देवी, पति– श्री सुखराम साह –सदस्य
6. श्रीमती धनपातो देवी, पति–श्री तारकेश्वर माँझी –सदस्य
7. श्री चन्द्रभूषण राय, पिता–श्री असर्फी राय –सदस्य
8. श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, पिता–स्व0 अलखदेव सिंह –सदस्य
9. श्री नविन्द्र प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 अमरनाथ सिंह –सदस्य
10. श्री महेश कुमार सिंह, पिता–श्री चन्द्रमा सिंह –सदस्य
11. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, पिता–सुरेश चन्द्र सिंह –सदस्य

यह योजना दिनांक 8 जनवरी, 2013 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षो का होगा।

आदेश से,
किशोर कुणाल, अध्यक्ष।

---

8 जनवरी 2013

सं० 1801—श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति, खेलड़िया, अंचल– तरारी, भोजपुर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 624 है । बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन तथा विकास के लिए एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है ।

अतः मैं किशोर कुणाल, अध्यक्ष, बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास पर्षद, विद्यापति मार्ग, पटना श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति, खेलड़िया, अंचल– तरारी, भोजपुर के सुचारू प्रबंधन, सम्यक विकास तथ संपत्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम की धारा–32 के तहत अग्रलिखित योजना का निरूपण करते हुए इसके क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ ।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति, खेलड़िया, अंचल– तरारी, भोजपुर'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति, खेलड़िया, अंचल– तरारी, भोजपुर'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा ।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा ।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा ।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा ।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी ।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 23.01.2013 से 05 वर्ष की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1.	श्री अवधेश तिवारी	–	सचिव
2.	श्री विजय कुमार सिंह	–	कोषाध्यक्ष
3.	श्री बबलू कुमार सिंह	–	सदस्य
4.	श्री सियाराम सिंह यादव	–	''
5.	श्री रामप्रवेश राम	–	''
6.	श्री रामनिहोरा सिंह यादव	–	''
7.	श्री हीरा तिवारी	–	''
8.	श्री नन्द कुमार कहार	–	''
9.	श्रीमति भगवानो देवी पति गोपाल सिंह	–	''
10.	श्री अजीत कुमार सिंह	–	''
11.	श्री रामबहादुर साह	–	''

आदेश से,
किशोर कुणाल, अध्यक्ष।

---

9 जनवरी 2013

सं० 1803—श्री राम जानकी, शिव–पार्वती, लक्ष्मी–नारायण धार्मिक न्यास समिति, पोखराहां, रोहतास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0 920 है । बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन तथा विकास के लिए एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है ।

अतः मैं किशोर कुणाल, अध्यक्ष, बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास पर्षद, विद्यापति मार्ग, पटना श्री राम जानकी, शिव–पार्वती, लक्ष्मी–नारायण धार्मिक न्यास समिति, पोखराहां, रोहतास के सुचारू प्रबंधन, सम्यक विकास तथ संपत्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम की धारा– 32 के तहत अग्रलिखित योजना का निरूपण करते हुए इसके क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ ।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री राम जानकी, शिव–पार्वती, लक्ष्मी–नारायण धार्मिक न्यास समिति, पोखराहां, रोहतास'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री राम जानकी, शिव–पार्वती, लक्ष्मी–नारायण धार्मिक न्यास समिति, पोखराहां, रोहतास'' होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा ।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा ।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा ।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा ।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी ।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।
8.. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित / हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 23.01.2013 से 05 वर्ष की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती है:–

1. अंचलाधिकारी, नासरीगंज, रोहतास	–	पदेन अध्यक्ष
2. श्री कार्तिक कुमार सिंह कुशवाहा पिता– स्व0 बुधन सिंह	–	सचिव
3. श्री तारकेश्वर तिवारी पिता– स्व0 रंगनाथ तिवारी	–	सदस्य
4. श्री सुरेश कुमार सिंह पिता– मण्डपा सिंह	–	''
5. श्री दीप नारायण सिंह पिता– स्व0 गुरूचरण सिंह	–	''
6. श्री भगवान शर्मा पिता– स्व0 बृजनन्दन शर्मा	–	''
7. श्री कैलाश राम पिता– स्व0 कपूर चन्द राम	–	''
8. श्री यमुना शर्मा पिता– स्व0 रामकृपाल शर्मा	–	''
9. श्री जय गोविन्द सिंह पिता– स्व0 रामयश सिंह	–	''
10. श्री श्याम बिहारी राम पिता– स्व0 शिवपुजन राम	–	''
11. श्री नागेश्वर प्र0 सिंह स्व0 राम नाथ सिंह	–	''

आदेश से,
किशोर कुणाल, अध्यक्ष।

13 फरवरी 2013

सं० 1922—सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड अंचल के नवाही स्थित श्री श्री 108 राजाधिराज मंदिर (नवाही टेम्पुल ट्रस्ट) पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या– 318 है। इस न्यास की सुव्यवस्था के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–2493 दिनांक 02.09.2006 द्वारा एक न्यास समिति का गठन किया गया था। जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। सिविल रिट याचिका सं0 7840/2006 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2011 को पारित आदेश के आलोक में पर्षद द्वारा संबंधित पक्षों की सुनवाई की गयी।

इस न्यास से संबंधित सिविल अपील सं0 258/1953 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 1956 को पारित निर्णय दोनों पक्षो के बीच आपसी समझौता के आलोक में है। इस समझौता में जो मुख्य बातें हैं, उनके अनुसार इस न्यास के लिए एक न्यास समिति के गठन का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के बावजूद इस न्यास के संबंध में अनेक मुकदमें हुए और अद्यतन वाद सी0 डबलु0 जे0 सी0 सं0 7840/2006 है, जिसमें इस मामले को धार्मिक न्यास पर्षद के पास इस निर्देश के साथ भेजा गया कि श्री रामभद्र शरण जी या न्यास समिति या इन दोनों में से कोई उपयुक्त नहीं हो तो किसी किसी बाहरी व्यक्ति को मैनेजर नियुक्त करने पर विचार किया जाय।

माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 17 सितम्बर, 1956 इस न्यास के संचालन के लिए स्पष्ट रूप से मार्ग दर्शन करता हैं और चूकि यह आदेश देश के सर्वोच्च न्यायालय का है, इसलिए इसका पालन आवश्यक है।

उपर्युक्त परिस्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1980 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0– 43(द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री श्री 108 राजाधिराज मंदिर (नवाही टेम्पुल ट्रस्ट) के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. श्री श्री राजाधिराज मंदिर, नवाही (नवाही टेम्पुल ट्रस्ट) के सुचारू प्रबंधन के लिए अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित योजना का नाम ''श्री श्री 108 राजाधिराज मंदिर, नवाही न्यास योजना'' होगा और इसके संचालन एवं कार्यान्वयन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री श्री 108 राजाधिराज मंदिर न्यास समिति, नवाही'' होगा जिसमें न्यास की चल–अचल संपत्तियों के संधारण, प्रबंधन संरक्षण, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार निहित होगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा, उत्सव समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन एवं संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास समिति का प्रमुख दायित्व न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अन्य संक्रमित/अतिक्रमित भूमि की वापसी के लिए समुचित कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करना होगा।
4. न्यास समिति न्यास की समग्र सम्पत्ति तथा आय–व्यय का सही हिसाब रखेगी और लेखा का वार्षिक अंकेक्षण करायेगी जिसकी प्रति पर्षद को भेजी जायेगी।
5. न्यास के बैंक खाता का संचालन दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।
6. न्यास समिति मंदिर एवं इसके भवनों का समुचित रख–रखाव/मरम्मत/ जीर्णोद्धार का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करेगी तथा मंदिर परिसर में स्वच्छता, पवित्रता एवं सौदर्यीकरण का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण रखा जायेगा।
7. न्यास समिति अधिनियम की धारा–60 के अनुसार न्यास का बजट तैयार करेगी तथा स्वीकृति हेतु पर्षद को भेजेगी। साथ ही न्यास के आय–व्यय की विवरणी एवं पर्षद को देय शुल्क भी ससमय दाखिल किया जायेगा।
8. न्यास समिति का कोई सदस्य न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेगें या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होगें तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।
9. न्यास समिति में एक सचिव का पद होगा। सचिव न्यास समिति के सभी निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होगें।
10. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगें और निर्णय बहुमत से होगा।
11. न्यास समिति न्यास के आय–व्यय के लेखा का सम्यक् संधारण करेगी और इसमें आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखी जायेगी।
12. जिन विषयों उल्लेख इस योजना में नहीं है और न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो न्यास समिति प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन के लिए पर्षद को भेजेगी।
13. न्यास हित में किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए न्यास समिति पारस्परिक सहमति से एक पद के लिए तीन नाम भेजेगी जिनमें से किसी एक का अनुमोदन पर्षद द्वारा किया जायेगा।
14. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

इस योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की एक न्यास समिति का गठन किया जाता है:–

1. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	–	पदेन अध्यक्ष
2. महंत रामभद्र शरण के प्रतिनिधि श्री राजदेव ठाकुर	–	उपाध्यक्ष
3. श्री ए0 पी0 एन0 सिंह के प्रतिनिधि श्री अशोक वर्द्धन	–	सचिव

4. श्री सीताराम राय, ग्राम– पाण्डे टोला हनुमान नगर, सुरसंड, सीतामढ़ी – सदस्य
5. श्रीमती नलिनी सिंह, टी0 वी0 जर्नलिस्ट, नयी दिल्ली – सदस्य।

इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 25.02.2013 से पाँच वर्षो का होगा।

आदेश से,
किशोर कुणाल, अध्यक्ष।

---

1 मार्च 2013

सं० 2007—कैमुर जिलान्तर्गत रामगढ़ थाना के ग्राम–विशनपुरा में श्री राम जानकी मंदिर अवस्थित है। पर्षद के तहत यह एक निबंधित सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 4241 है। उक्त मंदिर का निर्माण मो0 बागेश्वरी कुंअर द्वारा किया गया था। उन्होंने देवता के पूजा–अर्चना, राग–भोग के लिए दिनांक 12.05.1950 को निबंधित समर्पणनामा द्वारा अपनी सम्पत्ति अर्पित कर दी। साथ ही समर्पणनामा में यह प्रावधान किया कि वे अपने जीवनकाल तक स्वयं मुतवली रहेंगी और उनके निधन के पश्चात् मंदिर के प्रबंध के लिए सात व्यक्तियों की कमिटी का गठन कर दिया जिसके सदस्य अलग–अलग जाति एवं गांव के थे। वर्ष 1982 तक उक्त न्यास समिति कार्यरत रही। वर्ष 1983 में श्री रामयश तिवारी ने मुंसिफ भभुआ के न्यायालय में वाद संख्या 32/1983 स्थापित किया जिसमें यह दावा किया गया कि यह उनकी निजी सम्पत्ति है। मुंसिफ, भभुआ ने उक्त न्यास के सार्वजनिक न्यास मानते हुए दिनांक 29.03.1988 को वाद सं0 32/1983 को खारिज कर दिया। इसके बाद रामयश तिवारी ने उक्त फैसला के विरूद्ध विद्वान अवर न्यायाधीश, प्रथम, भभुआ के न्यायालय में अपील सं0 5/1988 दायर किया जिसमें दिनांक 22.06.1989 को प्रश्नगत मदिर को निजी न्यास का दर्जा देते हुए अपीलकर्ता को मोतवली एवं प्रबंधकर्ता बना दिया गया।

तत्पश्चात् रामधनी तिवारी एवं अन्य ने दिनांक–22.06.1989 के फैसला के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील सं0–400/1989 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.03.1991 द्वारा मंदिर की परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर मुकदमा की सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम रोक लगा दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.09.2011 द्वारा अंचलाधिकारी को मंदिर में पूजा–पाठ, राग–भोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और मंदिर की सम्पत्ति के दुरूपयोग को भी रोकने का निर्देश दिया। साथ ही न्यास को सार्वजनिक न्यास स्वीकार करते हुए धार्मिक न्यास पर्षद को सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने इसका निष्पपादन करते हुए आदेश दिनांक 13.12.2012 द्वारा इसे सार्वजनिक न्यास घोषित किया और धार्मिक न्यास पर्षद को विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया।

श्री दीन दयाल तिवारी ने पर्षद में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2012 की प्रति के साथ आवेदन दाखिल किया है जिसमें निवेदन किया है कि विगत 26 महीनों से इनके पिता स्व0 रामधनी तिवारी (रिट–आवेदक) द्वारा तीन हजार रुपये मासिक वेतन पर पुजारी की नियुक्ति कर पूजा–पाठ कराया जा रहा था। रामधनी तिवारी का स्वर्गवास दिनांक–29.03.2012 को हो गया और अब उनके पुत्र (वर्तमान आवेदक) पूजा–अर्चना एवं राग–भोग का प्रबंध स्थानीय स्तर पर गठित न्यास समिति के सचिव के रूप में कर रहें है। इनका अनुरोध है कि कार्यरत न्यास समिति, जिसकी सूची–आवेदक पत्र के साथ संलग्न है, को मान्यता प्रदान की जाय।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील सं0–400/1989 में दिनांक 13.12.2012 को पारित आदेश में श्री राम जानकी मंदिर विशुनपुरा को सार्वजनिक न्यास स्वीकार किया गया है और धार्मिक न्यास पर्षद को विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा–32 के तहत् योजना का निरूपण एवं इसके संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप–विधि सं0 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी मंदिर विशुनपुरा, थाना–रामगढ़, जिला–भभुआ की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है और इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. श्री राम जानकी मंदिर , ग्राम–विशनपुरा, थाना– रामगढ़, जिला– कैमूर (भभुआ) एवं इसमें निहित सम्पत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए निरूपति योजना का नाम ''श्री राम जानकी मंदिर न्यास योजना'' और इसके कार्यान्वयन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति विशनपुरा'' होगा जिसमें ठाकुरबाड़ी न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्तियों के संधारण का अधिकार होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य होगा कि श्री राम जानकी मंदिर न्यास की पूजा–अर्चना, राग–भोग, उत्सव– समैया आदि समुचित ढ़ंग से सम्पादित करें।
3. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली परख होगी।
4. मन्दिर से प्राप्त होने वाली समग्र राशि का लेखा संघारण किया जायेगा। न्यास समिति किसी नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक मे खाता खोलकर न्यास की आय संघारित करेगी। न्यास के खाता का संचालन अध्यक्ष अथवा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। कोषाध्यक्ष न्यास के आय–व्यय के लेखा के संघारण के लिए उत्तरदायी होगें।
5. न्यास समिति न्यास की हस्तान्तरित /अतिक्रमित भूमि की वापसी के लिए सभी नियमानुकूल कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करेगी।

6. न्यास समिति अधिनियम एवं उपविधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत, न्यास शुल्क सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेगें। न्यास समिति की बैठक साल मे चार बार अवश्य होगी। बैठक का कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
8. न्यास समिति के कोई सदस्य अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में विफल रहेगें या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेगे तो सदस्य रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।
9. इस योजना में परिर्वतन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियो की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति का कोई सदस्य यदि आपराधिक पृष्टभूमि के होगें मो उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
11. न्यास समिति में एक ही परिवार के दो सदस्य पाये जायेगें तो एक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास समिति को न्यास की भू–सम्पत्ति के किसी भी प्रकार के अन्तरण का अधिकार नहीं होगा।
13. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य रहेगें:–

1	श्री श्याम नारायण तिवारी, पिता– स्व0 बालक स्वामी तिवारी, ग्राम– खोरहरा, थाना–+पो0– रामगढ़, जिला– कैमूर (भभुआ)	–	अध्यक्ष
2	श्री राम एकबाल चौबे, पिता– स्व0 बिन्देश्वरी चौबे, ग्राम– बासनपुर थाना+पो0– नुआंव, जिला– कैमूर (भभुआ	–	उपाध्यक्ष
3	श्री दीनदयाल तिवारी, पिता– स्व0 रामधनी तिवारी, ग्राम– अभैदे, थाना+पो0– रामगढ़, जिला– कैमूर (भभुआ)	–	सचिव
4	श्री अंजनी पाण्डे, पिता– स्व0 हृदया पाण्डे, ग्राम– भरखर, थाना+पो0– मोहनियाँ, जिला– कैमूर (भभुआ)	–	संयुक्त सचिव
5	श्री शिवगहन राम, पिता– स्व0 छागुर राम, ग्राम– विशुनपुरा पो0+थाना– रामगढ़, जिला– कैमूर (भभुआ)	–	कोषाध्यक्ष
6	श्री ब्रजेश तिवारी, पिता– स्व0 शंकर दयाल तिवारी ग्राम– अभैदे, थाना+पो0– रामगढ़, जिला– कैमूर (भभुआ)	–	सदस्य
7	श्री निवास तिवारी, पिता– स्व0 केदार तिवारी ग्राम– विशनपुरा, थाना+पो0– रामगढ़, जिला– कैमूर (भभुआ)	–	सदस्य
8	श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पिता– स्व0 शिवमूरत श्रीवास्तव ग्राम– अभैदे,थाना+पो0– रामगढ़, जिला– कैमूर (भभुआ)	–	सदस्य
9	श्री अनिल कुमार पाण्डेय, पिता– स्व0 मारकन्डेय पाण्डेय, ग्राम– किशनपुरा, थाना+पो0– रामगढ़, जिला– कैमूर (भभुआ)	–	सदस्य

यह योजना दिनांक 12.03.2013 से लागू होगी और इसका कार्यकाल अगले 05 वर्षो का होगा।

आदेश से,
किशोर कुणाल, अध्यक्ष।

———

4 मार्च 2013

सं० 2023—बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अधीक्षक पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन किया गया था, जिसकी बैठक दिनांक 15.01.2013 को हुई थी। चयन समिति ने अधीक्षक पद के लिए श्री सत्य प्रकाश नारायण सिंह, अ0प्रा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर का चयन किया था। चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की बैठक दिनांक 16.01.2013 में श्री सत्य प्रकाश नारायण सिंह को नियुक्त करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। साथ ही पर्षदीय पत्रांक 1855 दिनांक 23.01.2013 द्वारा विधि सचिव को इस पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर संसूचित करने का अनुरोध किया गया। विधि विभागीय पत्रांक 1539/जे0 दिनांक 04.03.2013 द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा–23 के अधीन श्री सत्य प्रकाश नारायण सिंह, सेवा निवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर को पर्षद की अनुशंसा के आलोक में पर्षद के अधीक्षक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

चयन समिति की अनुशंसा को पर्षद की बैठक दिनांक 16.01.2013 में सर्वसम्मति से अनुमोदित/सम्पुष्ट किया जा चुका है। अतः राज्य सरकार के अनुमादेन के आलोक में श्री सत्य प्रकाश नारायण सिंह, अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पर्षद के अधीक्षक पद पर अगले पाँच वर्ष या उनकी उम्र 65 वर्ष होने तक, जो पहले हो उस अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

आदेश से,
किशोर कुणाल, अध्यक्ष।

सं० यो03 / मु.क्षे.वि.यो.–1 / 2010–**1349** / यो0वि0

योजना एव विकास विभाग

संकल्प

4 अप्रील 2013

विषयः– मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका की कंडिका–6, कंडिका संख्या–7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 एवं 8.5 में संशोधन ।

विभागीय संकल्प संख्या 1875, दिनांक 16.05.2012 द्वारा प्रचालित मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका की कतिपय कंडिकाओं में विभागीय संकल्प संख्या 4475, दिनांक 07.11.2012 द्वारा संशोधन किया गया है।

2. ''मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना'' के अंतर्गत पूर्व निर्गत संशोधित मार्गदर्शिका में योजनाओं के चयन का सिद्धान्त के अनुसार प्रति विधान मंडल सदस्य प्रति वर्ष एक करोड़ रूपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशंसा करने का प्रावधान है। विगत दिनों निर्माण सामग्रियों के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण विधान मंडल सदस्यों के द्वारा प्रति वर्ष प्रावधानित एक करोड़ रूपये से विधान मंडल निर्वाचन क्षेत्रों के विकास की क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने में कठिनाई हो रही है।

इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त मार्गदर्शिका के निम्नलिखित कंडिकाओं में निम्नलिखित विषयों को जोड़ने एवं संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

(क) **मार्गदर्शिका की कंडिका संख्या–6** (योजनाओं का चयन) में निम्नलिखित योजनाओं को अनुमान्य योजनाओं की सूची में सम्मिलित किया जाता है :–

13. राजकीय, राजकीयकृत तथा प्रोजेक्ट उच्च विद्यालयों में चाहरदीवारी का निर्माण

(ख) **मार्गदर्शिका की कंडिका संख्या–7** (चयन के सिद्धान्त) में कंडिका संख्या–7.1 एव 7.2 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

7.1 इस कार्यक्रम के तहत प्रति विधान सभा, सदस्य दो करोड़ रूपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशंसा करेंगे।

7.2 इस कार्यक्रम के तहत प्रति विधान परिषद् सदस्य भी दो करोड़ रूपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशंसा कर सकेंगे।

(ग) **मार्गदर्शिका की कंडिका संख्या–8** (निधि का आवंटन) में कंडिका संख्या– 8.1, 8.2, 8.3 एवं 8.5 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

8.1 इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वार दो करोड़ रूपये प्रति वर्ष का आवंटन देय होगा।

8.2 विधान परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रवार दो करोड़ रूपये प्रति वर्ष का आवंटन देय होगा।

8.3 विधान परिषद् के उन निर्वाचित सदस्य, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कई जिलों में विस्तारित होगा उन्हें भी दो करोड़ रूपया प्रति वर्ष आवंटन देय होगा।

8.5 वैसे विधान परिषद् सदस्य, जिनका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित नहीं है, वे राज्य के किसी एक जिला को इस कार्यक्रम के लिए चयनित करेंगे तथा उन्हें भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो करोड़ रूपये का आवंटन प्रतिवर्ष देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विजय प्रकाश, प्रधान सचिव।

सं० यो03 / मु0क्षे0वि0यो0–1 / 2010–**1737** / यो0वि0
योजना एवं विकास विभाग

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला योजना पदाधिकारी,
बिहार।

दिनांक **30** अप्रैल, 2013

विषयः– मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान मंडल सदस्य के लिए आवंटित राशि का न्यूनतम 20 प्रतिशत लागत की योजनाओं को अनुसूचित जाति के लाभकारी योजनाओं पर व्यय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना एवं विकास विभाग के संकल्प सं0 1349 दिनांक 04.04.2013 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विधान मंडल सदस्य को दो करोड़ रूपया प्रति वर्ष का आवंटन एवं तदनुसार योजना की अनुशंसा की पात्रता निर्धारित की गयी है।

2. राज्य के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र का विकास आवश्यक है ताकि ऐसे क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का संतुलित विकास हो सके।

तदनुसार राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विधान मंडल के प्रत्येक माननीय सदस्य मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अपनी पात्रता की राशि की अनुशंसा करते समय न्यूनतम 20 प्रतिशत लागत की योजनाओं की अनुशंसा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के संरचनात्मक विकास हेतु करेंगे।

उपर्युक्त निदेश का दृढ़ता से पालन किया जाय।

विश्वासभाजन
विजय प्रकाश, प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 08–571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in